



2026:AHC-LKO22614

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र संख्या - 18 वर्ष 2025

एक्स एक्स एक्स शिकायत, अपराध संख्या 213/2021, थाना

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह सिविल), लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्ष

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता	: बृज भूषण सिंह, हिमांशु पाठक, प्रांजल अपूर्वा, संदीप कुमार मिश्रा
विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, पुरुषोत्तम अवस्थी

न्यायालय संख्या - 7माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आज दाखिल प्रत्युत्तर हलफनामा अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता (ए.जी.ए.) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विरोधी पक्ष संख्या-2/प्रभात गुप्ता को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2022 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14553 वर्ष 2021 में प्रदान की गई जमानत निरस्त की जाए। दिनांक 06.08.2022 का आदेश निम्नवत उद्धृत है :-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन, अपराध संख्या 213/2021, धारा 376, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव के प्रकरण में आवेदक की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

जमानत के आवेदन पर बल देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 05.11.2021 से कारागार में निरुद्ध है तथा निकट भविष्य में विचारण के निष्पादन की संभावना अत्यंत क्षीण है।

“यह भी निवेदित किया गया कि पीड़िता बालिग है तथा प्राथमिकी में लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य एवं मनगढ़ंत हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि हिंदू विधि के अनुसार, जो कि सूचक/पीड़िता एवं उसके पति दीपक वर्मा पर लागू होती है, वैध तलाक हेतु विधिवत डिक्री का होना आवश्यक है। तथापि, प्राथमिकी की सामग्री के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवाह-विच्छेद के संबंध में कोई डिक्री अथवा निर्णय उपलब्ध नहीं है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता एवं दीपक वर्मा के मध्य विवाह विधिवत विच्छेदित हुआ था। यह भी निवेदित किया गया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार आवेदक एवं सूचक/पीड़िता के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुए, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। तथापि, जमानत आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट संख्या-6 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पीड़िता प्रसव हेतु शासकीय चिकित्सालय, अर्थात् उमा शंकर दीक्षित महिला चिकित्सालय, उन्नाव में दिनांक 21.09.2021 से 23.09.2021 तक भर्ती रही। उक्त दस्तावेजों में पीड़िता के पति का नाम दीपक वर्मा अंकित है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सूचक/पीड़िता एवं उसके पति दीपक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वर्मा के मध्य विवाह-विच्छेद कभी हुआ ही नहीं। अतएव, अभियोजन की कथा प्रथम दृष्टया असत्य एवं मनगढ़ंत प्रतीत होती है तथा दुराशय (कुटिल उद्देश्य) से प्रेरित होकर वर्तमान प्राथमिकी आवेदक के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। यह भी निवेदित किया गया कि स्वीकृत तथ्यों के अनुसार पीड़िता संविदा के आधार पर नगर पालिका, उन्नाव में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी तथा प्रासंगिक समय पर आवेदक भी वहीं ठेकेदार के रूप में कार्यरत था।

यह भी निवेदित किया गया कि यदि अभियोजन के कथन को उसके मूल रूप में भी स्वीकार कर लिया जाए, तब भी आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2022 को पारित निर्णय, आपराधिक अपील संख्या 442 वर्ष 2022 (मंदर दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) तथा दिनांक 20.05.2013 को पारित निर्णय, आपराधिक अपील संख्या 2322 वर्ष 2010 (दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य) पर भी निर्भर किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए जाने तथा आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

यह भी निवेदित किया गया कि आवेदक के जमानत पर रिहा होने के पश्चात उसके विधि की प्रक्रिया से फरार होने अथवा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोई आशंका नहीं है तथा वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, तथापि अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत तथा आरोपों की प्रकृति, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, निरुद्धि की अवधि एवं उपर्युक्त निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त प्रकरण है।

आदेशित किया जाता है कि आवेदक- प्रभात गुप्ता को उपर्युक्त अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार तत्काल व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करे। आवेदक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार भी संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत करे:-

- (i) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान गवाहों को भयभीत/प्रभावित कर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक बिना अनावश्यक स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
- (iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध नहीं करेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, जमानत निरस्तीकरण का यह एक आधार होगा।

बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अवलोकन केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से किए गए हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना।”

4. अभिलेख से परिलक्षित अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि विरोधी पक्ष संख्या-2/प्रभात गुप्ता ने लगभग 36 वर्ष आयु की आवेदिका के साथ विवाह करने का झूठा प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त दिनांक 06.08.2022 के आदेश द्वारा विरोधी पक्ष संख्या-2 को प्रदत्त जमानत को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन में उल्लिखित तथ्यों/आधारों का उल्लेख किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह जमानत निरस्तीकरण हेतु उपयुक्त प्रकरण है।

6. इस आवेदन में उल्लिखित तथ्यों/आधारों को निम्नवत उद्धृत किया जाता है:-

“6. यह कि अभियुक्त ने माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया है, विशेषकर शर्त (i) के अंतर्गत, क्योंकि वह आवेदिका को धमकाकर/दबाव डालकर उसके विरुद्ध दर्ज वाद को वापस लेने हेतु विवश कर रहा है तथा उसे और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा रही है। यह कृत्य शर्त (iii) का भी उल्लंघन है, जिसमें यह अपेक्षित है कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा। अतः उक्त शर्तों के उल्लंघन के आधार पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जानी चाहिए।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि विरोधी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण वे तथ्य जमानत आदेश में परिलक्षित नहीं हो सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि कारागार से रिहा होने के पश्चात अभियुक्त द्वारा आवेदिका को धमकाना प्रारंभ कर दिया गया।

9. यह कि अभियुक्त विभिन्न दूरभाष संख्याओं से आवेदिका को फोन कर अशोभनीय/अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए उसे खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है।

10. यह कि अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों के माध्यम से नगर पालिका, उन्नाव में झूटी पर जाते समय मार्ग में आवेदिका को रोककर वाद वापस लेने हेतु दबाव डलवाया तथा अन्यथा उसे जान से मारने की धमकी दिलवाई। उक्त घटना से आवेदिका अत्यंत भयभीत एवं आतंकित हो गई और दिनांक 11.08.2023 को उसने अनेक उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त को आवेदिका से संपर्क न करने तथा उसे धमकी न देने के लिए चेतावनी दी गई, किन्तु अभियुक्त ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया। (परिशिष्ट-03)

11. यह कि दिनांक 20.08.2024 को लगभग सायं 5 से 6 बजे के मध्य अभियुक्त (प्रभात गुप्ता) ब्लॉक 109/3, कांशीराम कॉलोनी में आया और आवेदिका को वाद में समझौता करने के लिए धमकाने लगा, अन्यथा उसे एवं उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में दिनांक 22.08.2024 को कांशीराम पुलिस चौकी पर तथा दिनांक 24.08.2024 को कोतवाली थाना, उन्नाव में प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

12. यह कि आवेदिका द्वारा राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तथा पुलिस महानिदेशक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विभिन्न प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए, तथापि अभियुक्त के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। (परिशिष्ट संख्या-04 एवं 05)

13. यह कि दिनांक 16.09.2024 को आवेदिका नगर पालिका, उन्नाव में अपनी झूटी हेतु जा रही थी, तभी अभियुक्त अपनी कार से पीछे से अचानक आया और आवेदिका के वाहन (स्कूटी) में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। अभियुक्त का उद्देश्य उसे जान से मारना था, किन्तु वह किसी प्रकार बच गई तथा दुर्घटना के कारण उसके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। आवेदिका की चिकित्सीय रिपोर्ट परिशिष्ट संख्या-06 के रूप में तथा अस्पताल में आवेदिका के फोटो परिशिष्ट संख्या-07 के रूप में संलग्न हैं।

14. यह कि आवेदिका अत्यंत भयभीत है एवं मानसिक रूप से व्यथित है कि उसके तथा उसके पुत्र के साथ कोई अनिष्ट घटना घट सकती है।

15. यह कि यह उल्लेखनीय है कि विरोधी पक्ष/अभियुक्त ने आवेदिका को क्षति पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जो कि जमानत प्रदान करते समय न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के प्रतिकूल है।

16. यह कि विरोधी पक्ष द्वारा आवेदिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई तथा वाद का प्रतिवाद न करने हेतु दबाव डाला गया, अन्यथा उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है और उसके पुत्र की भी हत्या कर दी जाएगी।”

7. अतएव, यह प्रार्थना की गई है कि प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाए तथा उपर्युक्त उद्धृत आदेश दिनांक 06.08.2022 के द्वारा विरोधी पक्ष संख्या-2 को प्रदत्त जमानत निरस्त की जाए।

8. प्रस्तुत आवेदन में की गई प्रार्थना का विरोध किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए तथा जमानत निरस्तीकरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए, जिनमें निम्नलिखित निर्णय सम्मिलित है—

9.1 जमानत निरस्तीकरण के प्रश्न पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमांशु शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी. 187** के वाद में निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

"11. अपीलार्थियों को प्रदान की गई जमानत निरस्त करते समय, माननीय एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के अब्दुल बसीत (उपर्युक्त) वाद में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया। तथापि, हमें यह उल्लेख करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि उक्त निर्णय का अनुपात अपीलार्थियों के पक्ष का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, उक्त निर्णय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के सीमित परिधि के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अपने ही आदेश के पुनरावलोकन की शक्तियों से संबंधित है। उक्त निर्णय से प्रासंगिक अवलोकन निम्नवत उद्धृत किए जाते हैं:-

14. अध्याय XXXIII के अंतर्गत, धारा 439(1) उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय दोनों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकें। धारा 439(2) उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे संहिता के अध्याय XXXIII के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया गया है, को गिरफ्तार कर पुनः अभिरक्षा में भेजने का निर्देश दे सके, अर्थात् अभियुक्त को दी गई जमानत को निरस्त करने की शक्ति। सामान्यतः जमानत निरस्तीकरण के आधार व्यापक रूप से निम्नलिखित होते हैं— (i) अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए समान प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संलिप्त हो, (ii) विवेचना की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे, (iii) साक्ष्य अथवा गवाहों से छेड़छाड़ करने का प्रयास करे, (iv) गवाहों को धमकाए अथवा ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो जिससे निष्पक्ष विवेचना बाधित हो, (v) उसके देश से पलायन की संभावना हो, (vi) वह भूमिगत होकर अथवा स्वयं को अनुपलब्ध बनाकर जांच एजेंसी से बचने का प्रयास करे, (vii) वह स्वयं को अपने जमानतदारों की पहुंच से बाहर करने का प्रयास करे, आदि। ये आधार उदाहरणात्मक हैं, न कि सीमित। जहाँ जमानत धारा 167(2) के प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन द्वारा निर्धारित अवधि में विवेचना पूर्ण न किए जाने के कारण प्रदान की गई हो, वहाँ दोष दूर किए जाने पर आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात अभियोजन इस आधार पर जमानत निरस्त करने का निवेदन कर सकता है कि यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हैं कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है तथा उसे गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजना आवश्यक है। तथापि, ऐसे मामलों में अत्यंत प्रबल आधार अपेक्षित होते हैं। (रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य, (1986) 4 एस सी सी 481)

15. धारा 439(2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय की इस शक्ति के परिधि/क्षेत्र पर इस न्यायालय द्वारा गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1978) 1 एस.सी.सी. 118] में विचार किया गया है।

16. गुरचरण सिंह वाद [(1978) 1 एस.सी.सी. 118] में इस न्यायालय ने संहिता के अंतर्गत जमानत निरस्तीकरण से संबंधित प्रावधानों की संक्षेप में व्याख्या करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (संक्षेप में "पुरानी संहिता") से इसके भेदों को स्पष्ट किया तथा जमानत प्रदान करने एवं निरस्त करने की न्यायालयों की शक्तियों के संदर्भ में विधिक स्थिति का प्रतिपादन किया। इस न्यायालय ने निम्नवत अवलोकन किया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"16. नवीन संहिता की धारा 439 उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय को जमानत के संबंध में विशेष शक्तियाँ प्रदान करती है। यह स्थिति पुरानी संहिता की धारा 498 के अंतर्गत भी थी। अर्थात्, यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को जमानत देने से इंकार कर देता है, तब भी उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय उपयुक्त मामलों में जमानत प्रदान करने का आदेश दे सकता है। इसी प्रकार, नई संहिता की धारा 439(2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया है, उसे गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा जाए। पुरानी संहिता की धारा 498(2) की भाषा कुछ भिन्न थी, जिसमें यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया गया है, गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेज सकता है। दूसरे शब्दों में, पुरानी संहिता की धारा 498(2) के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, तो उसे अभिरक्षा में भेजने का अधिकार केवल उच्च न्यायालय को ही था। इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, तो उसे अभिरक्षा में भेजने का अधिकार केवल सत्र न्यायालय को ही था। इस प्रकार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, पुनः अभिरक्षा में भेजने के आवेदन पर विचार करने की शक्ति पर जो प्रतिबंध था, उसे नई संहिता की धारा 439(2) द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब धारा 439(2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अध्याय XXXIII के अंतर्गत किसी भी न्यायालय, जिसमें सत्र न्यायालय भी सम्मिलित है, द्वारा जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को, यदि वह उचित समझे, अभिरक्षा में भेज सकता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सत्र न्यायालय उस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत को निरस्त नहीं कर सकता जो पहले से उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी हो, जब तक कि विचारण की प्रगति के दौरान कोई नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो जाएँ, जो अभियुक्त को जमानत दिए जाने के पश्चात सामने आई हों। यदि सत्र न्यायालय ने ही अभियुक्त को जमानत प्रदान की हो, तो राज्य के पास दो विकल्प होते हैं- वह सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यदि कुछ नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हों जो पूर्व में राज्य को ज्ञात नहीं थीं; अथवा राज्य, धारा 439(2) के अंतर्गत, उच्च न्यायालय का भी आश्रय ले सकता है ताकि अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजा जा सके। जहाँ राज्य सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश से ही असंतुष्ट हो तथा कोई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न न हुई हों, वहाँ सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनः आवेदन करना निरर्थक है और विधि के अनुसार राज्य सीधे उच्च न्यायालय में जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। यह स्थिति उच्च न्यायालय की तुलना में सत्र न्यायालय की अधीनस्थ स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। (बल दिया गया)।

17. इस संदर्भ में, इस न्यायालय के निर्णय पूरन बनाम रामबिलास [(2001) 6 एस.सी.सी 338] पर निर्भर करना उपयुक्त है। उक्त वाद में इस न्यायालय ने (एस.सी.सी पृष्ठ 345, पैरा 11) यह प्रतिपादित किया कि अन्यायपूर्ण, अवैध या विकृत आदेश को निरस्त करना, अभियुक्त के दुराचरण अथवा ऐसी उपरांत परिस्थितियों के आधार पर, जो जमानत निरस्तीकरण को आवश्यक बनाती हों, जमानत निरस्त करने की संकल्पना से पूर्णतः भिन्न है। नरेंद्र के. अमीन बनाम गुजरात राज्य [(2008) 13 एस.सी.सी 584] में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उपर्युक्त सिद्धांत को पुनः दोहराया तथा पुनर्विचार या अपील में उपलब्ध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राहत के संदर्भ में इन दोनों के मध्य भेद को और स्पष्ट किया। उक्त वाद में, उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 439(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को दी गई जमानत निरस्त कर दी थी। अपील में इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान करने तथा जमानत निरस्त करने के मापदंडों के मध्य अंतर को समुचित रूप से नहीं समझा। पीठ ने पूर्ण वाद [(2001) 6 एस.सी.सी 338] में प्रतिपादित सिद्धांत की पुष्टि करते हुए यह अवलोकन किया कि जब जमानत प्रदान करते समय न्यायालय द्वारा अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो ऐसा आदेश दुर्बल हो जाता है और अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण के अधीन होता है, तथा संहिता की धारा 362 के अंतर्गत ऐसे आदेश का पुनर्विचार संभव नहीं है। सारतः, इस न्यायालय का मत है कि यदि जमानत प्रदान करने का आदेश विकृत है, तो उसे केवल उच्चतर न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, और उसी न्यायालय द्वारा पुनर्विचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

18. उपर्युक्त सिद्धांत को प्रतिध्वनित करते हुए, इस न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय रंजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2013) 16 एस.सी.सी 797] में यह अवलोकन किया है कि—

“19. अन्यायपूर्ण, अवैध अथवा विकृत आदेश को निरस्त करने की अवधारणा तथा अभियुक्त के दुराचरण या ऐसी उपरांत परिस्थितियों के आधार पर, जो जमानत निरस्तीकरण को आवश्यक बनाती हों, जमानत आदेश को निरस्त करने की अवधारणा में स्पष्ट भेद है। यदि जमानत प्रदान करने का आदेश विकृत हो या अप्रासंगिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सामग्री के आधार पर पारित किया गया हो, तो उसे उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।”

19. अतः, अन्यायपूर्ण, अवैध अथवा विकृत आदेश को निरस्त करने की संकल्पना, अभियुक्त के दुराचरण अथवा जमानत प्रदान किए जाने के पश्चात उत्पन्न प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर जमानत निरस्त करने की संकल्पना से भिन्न है। उपर्युक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जमानत प्रदान करने का आदेश केवल उन्हीं आधारों पर निरस्त किया जा सकता है कि वह अवैध है अथवा विधि के विपरीत है, और ऐसा निरस्तीकरण केवल उस न्यायालय से उच्चतर न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है जिसने जमानत प्रदान की है, न कि उसी न्यायालय द्वारा।

20. वर्तमान प्रकरण में, यहाँ के प्रतिवादियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत निरस्तीकरण की प्रार्थना इस आधार पर की गई थी कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने तथ्यों का घोर मिथ्याप्रस्तुतीकरण करते हुए, न्यायालय को गुमराह कर तथा छल का सहारा लेकर जमानत प्राप्त की। इस प्रकार, उक्त प्रार्थना पत्र जमानत प्रदान किए जाने की वैधता को चुनौती देता था तथा यह अपेक्षा करता था कि जमानत आदेश को विधि की दृष्टि से विकृत मानते हुए निरस्त किया जाए। ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप जमानत का निरस्तीकरण स्वतः निहित होता। अभिलेख पर लाए गए तथ्यों से ऐसी कोई स्थिति परिलक्षित नहीं होती थी जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता द्वारा जमानत का दुरुपयोग किया गया हो। अतः, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार करना तथा जमानत को इस आधार पर निरस्त करना कि वह विधि की दृष्टि से विकृत है, न्यायसंगत नहीं था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

21. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी वाद का न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया जाता है, तब प्रत्यक्ष वैधानिक प्रावधान के अभाव में वह न्यायालय का “अधिकार समाप्त” (*functus officio*) हो जाता है और उसी विषय में पुनः कोई नई राहत याचना स्वीकार नहीं कर सकता, जब तक कि पूर्व में पारित अंतिम आदेश को उस सीमा तक निरस्त अथवा संशोधित न कर दिया जाए। यह भी विधि द्वारा स्थापित है कि जमानत प्रदान करने वाले निर्णय एवं आदेश का पुनरावलोकन उसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसने वह आदेश पारित किया है, जब तक कि संहिता में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 न्यायालय द्वारा निस्तारित वादों में किसी प्रकार के परिवर्तन या पुनर्विलोकन पर प्रतिबंध लगाती है। उक्त वैधानिक प्रतिबंध का एकमात्र अपवाद यह है कि न्यायालय लिपिकीय अथवा गणनात्मक त्रुटियों का संशोधन कर सकता है।

10. उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि प्रस्तुत आवेदन में कोई बल नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :-

(i) आवेदक सद्भावनापूर्ण वादकार नहीं है, क्योंकि वह इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों के साथ नहीं आई है तथा न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास भी किया है, जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट है :-

(a) प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में दाखिल हलफनामे के पैरा 13 के अनुसार आवेदक ने घटना की तिथि 16.09.2024 अंकित की है, जबकि उक्त घटना के संबंध में दिनांक 12.02.2025 को, अत्यधिक विलंब से, दर्ज प्राथमिकी (परिशिष्ट संख्या सी.ए.-3) में घटना की तिथि 15.09.2024 अंकित की गई है। अतः प्रतीत होता है कि पैरा 13 एवं प्राथमिकी में लगाए गए आरोप मनगढ़ंत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं तथा कुटिल उद्देश्य से, जिसमें जमानत निरस्तीकरण हेतु आधार तैयार करना भी सम्मिलित है, आरोपित किए गए हैं।

(b) आवेदक ने आवेदन में अपने सही विवरण का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि उसने अपने पिता का नाम, अर्थात् बचई, अंकित नहीं किया है।

(c) आवेदक यह स्थापित नहीं कर सकी है कि उसका विवाह दीपक वर्मा उर्फ राकेश कुमार पुत्र अशर्फी लाल के साथ विधिवत विच्छेदित हो चुका है।

(ii) विरोधी पक्ष संख्या-2 द्वारा धमकी देने संबंधी आरोप अस्पष्ट एवं सामान्य हैं।

11. उपर्युक्त कारणों से, प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है। लागत सहज की जाती है।

दिनांक: 31 मार्च, 2026

एम.एल./-

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।